

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, अनुभाग-4डी(2), लखनऊ।

पत्रांक: 4डी(2)/20/

लखनऊ / दिनांक / 27-05-20

// कार्यालय ज्ञाप //

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-10396 आफ 2019, नमित कुमार पाण्डेय व 8 अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं 10 अन्य (सम्बद्ध अन्य रिट याचिका) के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.05.20 यथा "Considering subsequent development due to COVID-19 Pandemic and the importance of the Lab Technicians for testing, this Court is of the view that State be permitted to fill up remaining 729 posts of the Lab Technicians. However, their appointment shall also remain subject to the final outcome of the writ petition" के अनुपालन में तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-197/पांच-7-2020 दिनांक 14.05.20 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संस्तुति विषयक पत्र संख्या-433/गोपन अनुभाग/1/30/2016/2019 दिनांक 09.07.2019 द्वारा चयनित किये गये 729 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के नियुक्ति आदेश महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी(2)/20/634(14) दिनांक 23.05.20 द्वारा निर्गत किये गये थे।

मा० उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-924/गोपन अनुभाग/1/30/2016/2020 दिनांक 26.05.20 तथा उक्त पत्र में उल्लिखित पत्र संख्या-645/गोपन अनुभाग/1/30/2016/2019 दिनांक 23.09.19 द्वारा निम्नलिखित 03 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की संस्तुतियां वापस लेते हुए महानिदेशालय के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि तीन अभ्यर्थियों, अनुक्रमांक 00003211, अनुसूचित जाति का कुल प्राप्तांक 54.5, अनुक्रमांक 00006697, अनुसूचित जाति का कुल प्राप्तांक 55.0 व लिखित परीक्षा में 12 अंक तथा अनुक्रमांक 00010828, अन्य पिछड़ा वर्ग का कुल प्राप्तांक 57.5 हैं, के प्राप्तांक विकलांगों हेतु निर्धारित कट आफ अंक 59.5 से कम हैं एवं उक्त तीनो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक उनकी मूल श्रेणी के कट आफ जोकि अनुसूचित जाति हेतु 55.0 ( लिखित परीक्षा के अंक-13 एवं जन्मतिथि-10.01.1993) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 58.5 अंक हैं, से कम हैं।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संख्या-4डी(2)/20/634(14) दिनांक 23.05.2020 द्वारा की गयी नियुक्ति एवं जनपद आवंटन को निरस्त किया जाता है:-

क्रमांक	अनुक्रमांक	मेरिट संख्या	नाम	पिता का नाम	निवासी	आवंटित जनपद
1	00003211	711	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	श्री रामवृद्ध प्रसाद	जनपद गोरखपुर	अधीन मु०चि०अधि०, बुलन्दशहर
2	00006697	704	श्री उत्तम मणि	श्री वेदी प्रसाद	जनपद सिद्धार्थनगर	अधीन मु०चि०अधि०, बरेली
3	00010828	641	श्री नरेश कुमार	श्री संतराम कुशवाहा	जनपद जालौन	अधीन मु०चि०अधि० जालौन

( महानिदेशक)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। (ई-मेल के माध्यम से प्रेषित)
- 2- श्री नीरज त्रिपाठी, अपर महा अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पिकअप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-924/गोपन अनुभाग/1/30/2016/2020 दिनांक 26.05.2020 एवं पत्र संख्या-645/गोपन अनुभाग/1/30/2016/2019 दिनांक 23.09.2019 के अनुपालन में उपांकित तालिका में अंकित तीनों अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्रों को वापस किया जा रहा है। (संलग्नक-उपरोक्तानुसार)
- 4- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-7
- 5- निदेशक, नियोजन एवं बजट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त सूची को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिकृत वेबसाइट में आज ही अपलोड करवाने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ / बरेली / झाँसी मण्डल।
- 7- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर / बरेली / जालौन को इस आशय से प्रेषित कि तालिका में अंकित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का चयन निरस्त कर दिया गया है, अतः इनकी योगदान आख्या स्वीकार न की जायें।
- 8- सम्बन्धित अभ्यर्थीगण।
- 9- गार्ड फाइल।



( मधु सक्सेना )  
निदेशक, पैरामेडिकल